(17)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा [म0प्र0]

प्र0क्र0/आर0-दो/ /2014,

307
18.6.14
24-7-14

B-15

R-2560-III/14

श्रीमती किरण देवी मिश्रा पत्नी श्री कृपाशंकर मिश्रा उम्री लगभग 35 वर्ष पेसा गृह कार्य नि0ग्राम सगरा खुर्द पत्रालय थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा [म0प्र0]-- - - - - - - - - - - - आवेदिका/ निगराकार

बनाम

श्री..उमेश मिश्रा एडवो.. द्वारा आज दिनांक 18-06-14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

1- श्रीमती बृजकली धर्म पत्नी श्री उमाशंकर ब्रा0 उम्री लगभग 71 वर्ष ।

2- श्रीमती कमला तिवारी धर्म पत्नी श्री अमरनाथ तिवारी उम्री लगभग 41 वर्ष -दोनो का पेसा गृह कार्य एवं नि0ग्राम सगरा खुर्द पत्रालय थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा [म0प्र0]

3- शासन म0प्र0 - - - - - - - - - - - - - - अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0।

क्रमांक 2355
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज
दिनांक________को प्राप्त
~~कार्या आफिस~~ कोर्ट 25-7-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी बिरूद्ध निर्णय न्यायालयश्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय रीवा के निग॰प्र0क्र0/ 19/अ74/13-14 आदेश दिनांक 01-03-2014

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

[अ]- यह कि आवेदिका जिसे अन्यत्र निगराकार के रूप में सम्बोधित कियाजावेगा, के द्वारा ग्राम सगरा खुर्द तहसील हनुमना स्थित भूमि नं0 183/1क रक्वा 0•683 आरे का अंश भाग 0•011 आरे जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27-11-2010 को मुस॰ श्यामा शुक्ला पत्नी स्व॰ अर्जुन प्रसाद शुक्ला से क्रय कर मुताविक विक्रय पत्र काबिज दखील चलीआ रही हैं ।

[ब]- यह कि तत्कालीन हल्का पटवारी बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के ही अनावेदिका क्रमांक दो से अन्यथा प्रभावित होकर मौकेकी स्थिति के विपरीत आवेदिका की गैर जानकारी एवं बिना किसी सूचना के दिनांक

किरन मिश्रा

राम सुशील शर्मा
अधिवक्ता
बी.ए. एम.ए. एल.एल.बी.
रीवा (म.प्र.)
18.6.14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R..2560–III/14 जिला–रीवा

किरण देवी / बृजकली ब्रा0

(1)	(2)	(3)
01.02.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	